Acharya Kripalani: Whatever you may call me, there are in this respect better men in the Congress than myself, and unfortunately, they are supporting this Bill.

COMPANIES BILL

PRESENTATION OF REPORT OF JOINT COMMITTEE

The Minister in the Ministry of Law (Shri Pataskar): I beg to present the Report of the Joint Committee on the Bill to consolidate and amend the law relating to companies and certain other associations.

HINDU MARRIAGE BILL.—*Contd.*

श्री भक्त दर्शन (जिला गढ़वाल—पूर्व व जिला मुरादाबाद—उत्तर पूर्व) : मैं इस विधेयक का समर्थन तो करता हूं, लेकिन कुछ संशोधनों और कुछ शर्तों के साथ । मैं उन व्यक्तियों में से हूं, जो यह समझते हैं कि हमारे समाज को समय की परिस्थितियों के अनुसार बदलते रहना चाहिए और हमारे कानूनों में समय-समय पर परिस्थितियों के अनुसार संशोधन होते रहने चाहियें । यह जो विधेयक संयुक्त प्रवर समिति से होकर और राज्य-सभा से स्वीकृत होने के बाद इस सदन में आया है इसमें तीन मुख्य बातें हैं :

पहली बात तो इसमें जाति भेद को समाप्त करके हिन्दुओं में आपस में विवाह करने की है ।

दूसरी बात जो इसमें की जा रही है वह एक पति और एक पत्नी की की जा रही है ।

तीसरी चीज जो इसमें है वह है विवाह-विच्छेद (डाइवोर्स) के मुताल्लिक ।

जहां तक प्रथम और दूसरी बात का प्रश्न है मैं समझता हूं कि देश के सब लोग इन दोनों बातों का पूरी तरह से समर्थन करते हैं और बहुत वर्षों से इसकी आवश्यकता अनुभव भी की जा रही थी कि सारे देश के लिए इस तरह का एक कानून बनाया जाये ताकि सब राज्यों को सब नर और नारियों को इस से लाभ हो सके ।

इतना कहने के बाद अब मैं तीसरी बात जो कि विवाह-विच्छेद के सम्बन्ध में है उस पर अपने विचार रखने से पहले विधि-मंत्री महोदय के ध्यान में कुछ ऐसी बातें लाना चाहता हूं जिनका इस विधेयक में उल्लेख नहीं है । पहली बात तो धारा ५ के सम्बन्ध में है, जिसमें यह व्यवस्था की गई है कि वर और वधू की आयु कम से कम १८ और १५ वर्ष क्रमशः हो । जैसा कि मेरे माननीय मित्र पंडित ठाकुर दास जी भार्गव ने कहा कि संयुक्त प्रवर समिति ने यह सुझाव दिया था कि कम से कम वर की आयु २१ वर्ष और वधू की १६ वर्ष होनी चाहिये और मैं भी यही चाहता हूं, लेकिन मैं यह नहीं समझ पाया कि राज्य-सभा ने उसमें यह संशोधन क्यों कर दिया ? इसलिये मेरा सुझाव है कि इसमें फिर से संशोधन कर दिया जाये और यह व्यवस्था कर दी जाये कि वर की आयु विवाह के समय २१ वर्ष से कम नहीं होनी चाहिये और वधू की १६ वर्ष से कम नहीं होनी चाहिये ।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि जब इस विधेयक में न्यूनतम आयु की व्यवस्था की जा रही है तो मैं समझता हूं कि इसमें यह भी व्यवस्था कर दी जाये कि अधिक से अधिक क्या आयु होनी चाहिये जिस आयु तक कि कोई विवाह कर सकता है । पश्चिमी देशों में बड़ी-बड़ी उम्र में शादी हुआ करती है लेकिन मैं समझता हूं कि हमारे देश में इस तरह की कोई